

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 149 / टोक / 2007 - 2008

यह प्रमाणित किया जाता है कि राजज एण्ड केशवल एण्ड

बेल के भस् सासा यती देवली

जिला शेकराज राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958

(राजस्थान अधिनियम संस्था 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण - पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज

दिनांक चार माह मार्च सत्रह हजार आठको



रजिस्टार संस्थाए
रजिस्टार संस्थाए

टोक

युग्म

राजस्थान सरकार
राजस्थान (टी.डी.)